	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना उनवानी प्रेमकंवर बनाम भूमिधारी मु.सं. 26/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 09.05.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	
025	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र अं0धा0 136 एल आर एक्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवम् बहस वकील प्रार्थी पर सगौर मनन किया गया जिससे वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अं0धा0 136 एल आर एक्ट स्वीकार फरमाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। निर्णय मेरे द्वारा पृथक् से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 16:12:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारीः— **राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.)**
प्रार्थना पत्र सं. —**26 / 2024**
जी.सी.एम.एस नं.—**2024 / 175**

1 प्रेम कंवर पत्नी चिमनसिंह उम्र 60 साल जाति राजपूत निवासी राजपूतों का मोहल्ला, नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान।

—प्रार्थीया—

बनाम

1. भूमिधारी जरिए तहसीलदार नीमकाथाना राज.

—अप्रार्थी—

उपस्थिति :— श्री नवीन कुमार यादव एडवोकेट, प्रार्थीया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

दिनांकः— 09/05/2025

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि पुराना खाता संख्या 527 के पुराने ख.नं. 572 नया खाता संख्या 204 के नया ख.नं. 853 रकबा 2.50 हैक्ट. भूमि राजस्व ग्राम सिरोही पटवार हल्का सिरोही तहसील नीमकाथाना में स्थित है। खातेदार मंगेजसिंह पुत्र सीतासिंह से प्रार्थीया ने जरिए रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 13.04.2006 को रकबा 0.64 हैक्ट. भूमि खरीद कर उपपंजीयक नीमकाथाना के तस्दीक कराया गया था तब से कब्जा काश्त चली आ रही है। प्रार्थीया के पक्ष में विधिवत रूप से नामान्तकरण संख्या 2036 दर्ज किया गया। जमाबंदी सम्वत् 2056—2059 में प्रार्थीया का नाम दर्ज कर दिया गया। इसके पश्चात् सम्वत् 2067—2070, 2071—2074 की जमाबंदी में प्रार्थीया की खातेदारी में नाम दर्ज है। इसके पश्चात् सम्वत् 2075—2078 की जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा भूलवश नाम दर्ज करने से वंचित रह गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 16:12:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया को अपने हिस्से की उक्त भूमि का [illegible] बनवाने बाबत दिनांक 22.12.2023 को संबंधित पटवार हल्का सिरोही गयी तब पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थीया का नाम ही दर्ज नहीं है। इसलिये न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज.काश्त.अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम सिरोही के पुराने ख.नं. 572 रकबा 2.50 हैक्ट. के नया ख.नं. 853 रकबा 2.50 हैक्ट. भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा व खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

उक्त तथ्यों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 2036 ग्राम सिरोही, जमाबंदी सम्वत् 2056–2059 तथा् सम्वत् 2067–2070, 2071–2074 की जमाबंदी की प्रति पेश की गई । वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–2078 पेश की गई तथा विक्रय पत्र दिनांक 13.4.2006 की प्रति पेश की गई। अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रति से जाहिर होता है कि प्रार्थीया द्वारा खातेदार मंगेजसिंह पुत्र सीतासिंह से रजिस्टर्ड बैनामा द्वारा ग्राम सिरोही के पुराने ख.नं. 572 रकबा 2.50 हैक्ट. में से 0.64 हैक्ट. भूमि को क्रय किया जाकर कब्जा प्राप्त किया गया था। नामान्तकरण संख्या 2036 दर्ज किया जाकर जमाबंदी सम्वत् 2056–2059 से 2071–2074 तक प्रार्थीया का नाम खातेदारी में दर्ज होता रहा है। परन्तु वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 में राजस्व कार्मिको की भूल से प्रार्थीया का नाम खातेदारी में दर्ज होने से छूट गया, यह एक लिपिकिए त्रुटि है। वर्तमान जामाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि खातेदार भंवरसिंह पुत्र मंगेज सिंह का हिस्सा 2/5 गलत दर्ज कर दिया गया है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से प्रमाणित हो रही है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि ग्राम सिरोही के भूमि ख.नं. 853 रकबा 2.50 हैक्ट. में दर्ज खातेदार भंवरसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा 2/5 के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र मंगेजसिंह हिस्सा 18/125 व प्रेमकंवर पत्नी चिमनसिंह हिस्सा 32/125 दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल करें। निर्णय की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 16:12:07 IST
Reason: SelfAttested